Toppersnotes

Unleash the topper in you

भारत का संविधान

For All Law Exams

भाग - 1

भारत का संविधान - 1

SIERRA INNOVATIONS

विषय सूची

भारत का संविधान - 1

अनुच्छेद सं.	अनुच्छेद	पृष्ठ सं.
	महत्वपूर्ण संशोधन	1
	संवैधानिक सिद्धांतों पर प्रमुख मामलों की सूची	5
	संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	10
	भारत में न्यायिक प्रणाली का विकास (1773–1950)	20
	भारतीय संविधान का निर्माण	23
	प्रस्तावना	27
	भाग 1 **संघ और उसका राज्यक्षेत्र**	
1	संघ का नाम और राज्यक्षेत्र	32
2	नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना	32
2क	सिक्किम का संघ के साथ सहयुक्त किया जाना - लोप किया गया।	***
3	नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन	33
4	पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां	37
	भाग 2 **नागरिकता**	
5	संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता	38
6	पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार	38
7	पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार	38
8	भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार	38
9	विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना	39
10	नागरिकता के अधिकारों का बना रहना	39
11	संसद् द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना	39
	भाग 3 **मूल अधिकार**	
	साधारण	
12	परिभाषा	42
13	मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां	47

	समता का अधिकार	
14	विधि के समक्ष समता	65
15	धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध	70
16	लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता	77
17	अस्पृश्यता का अंत	83
18	उपाधियों का अंत	84
	स्वातंत्य-अधिकार	
19	वाक्-स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण	85
20	अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण	91
21	प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण	93
21क	शिक्षा का अधिकार	97
22	कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण	99
	शोषण के विरुद्ध अधिकार	
23	मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध	102
24	कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध	104
	धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार	
25	अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता	106
26	धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता	109
27	किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता	112
28	कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता	113
	संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार	
29	अल्पसंख्यक-वर्गों के हितों का संरक्षण	116
30	शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक-वर्गों का अधिकार	120
31	संपत्ति का अनिवार्य अर्जन - लोप किया गया ।	***
	कुछ विधियों की व्यावृति	
31क	संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति	124
31ख	कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण	125
31ग	कुछ निदेशक तत्त्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति	126
31घ	राष्ट्र विरोधी क्रियाकलाप के संबंध में विधियों की व्यावृत्ति - लोप किया गया ।	127
	सांविधानिक उपचारों का अधिकार	
32	इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार	128

32क	राज्य विधियों की सांविधानिक वैधता पर अनुच्छेद 32 के अधीन कार्यवाहियों में विचार न किया जाना - लोप किया गया ।	***
33	इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का, बलों आदि को लागू होने में, उपांतरण करने की संसद् की शक्ति	131
34	जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बन्धन	132
35	इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान	132
	भाग 4 **राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व**	
36	परिभाषा	134
37	इस भाग में अंतर्विष्ट तत्त्वों का लागू होना	134
38	राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा	134
39	राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्त्व	135
39क	समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता	136
40	ग्राम पंचायतों का संगठन	137
41	कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार	137
42	काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध	137
43	कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि	138
43क	उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना	138
43ख	सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन	138
44	नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता	139
45	छह वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा का उपबंध	140
46	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि	140
47	पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य	140
48	कृषि और पशुपालन का संगठन	141
48क	पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा	141
49	राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण	142
50	कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण	142
51	अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि	142
	भाग 4क **मूल कर्तव्य**	
51क	मूल कर्तव्य	147

भारत का संविधान

महत्वपूर्ण संशोधन

1. प्रथम संशोधन (1951)

- ✓ 9वें अनुसूची को जोड़ा (भूमि सुधार कानूनों के लिए सुरक्षा)।
- ✓ संपत्ति के अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(F)) को सीमित किया।
- ✓ अनुच्छेद 19 पर उचित प्रतिबंध लागू किए।
- ✓ अनुच्छेद 31A और 31B सम्मिलित किए।

2. 7 संविधान संशोधन अधिनियम, 1956।

- ✓ राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया (राज्य पुनर्गठन अधिनियम)।
- ✓ भाग A, B, C, D राज्यों के बीच का भेद समाप्त किया।
- ✓ इस संशोधन ने "साझा राज्यपाल" की अवधारणा बनाई, यानी एक व्यक्ति एक साथ दो या दो से अधिक राज्यों का संवैधानिक प्रमुख बन सकता है।
- ✓ इस संशोधन ने संसद को दो या दो से अधिक राज्यों के लिए साझा उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार प्रदान किया।

3. 21वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1967।

- ✓ सिंधी भाषा जोड़ी गई।
- ✓ कुल: 15 भाषाएँ।

4. 24 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1971।

- ✓ स्पष्ट किया गया: संसद को संविधान के किसी भी भाग, जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल हैं, में संशोधन करने की शक्ति है।
- ✓ अनुच्छेद 368 को स्पष्ट रूप से स्थापित किया गया।
- ✓ यह Golaknath v. State of Punjab (1967) के निर्णय के प्रति प्रतिक्रिया थी।

5. 25 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1971।

- ✓ अनुच्छेद 31C जोड़ा गया: राज्य के नीति निदेशक तत्व (अनुच्छेद 39(b), (c)) को मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 14, 19) पर प्रधानता दी गई।

6. **26 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1971।**
   - ✓ पूर्व रियासतों के शासकों की प्रिवी पर्स (राज्भत्ता) और विशेषाधिकार समाप्त किए गए।

7. **31 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1973।**
   - ✓ लोकसभा की सदस्य संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई।

केशवानंद तथा आपातकाल कालखंड।

7. **42 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 ।**
   - ✓ प्रस्तावना में "समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता" शब्द जोड़े गए।
   - ✓ राज्य के नीति निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकारों से ऊपर रखा गया (बाद में न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन)।
   - ✓ न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को सीमित किया गया।
   - ✓ संविधान संशोधन में संसद को प्रधानता दी गई।
   - ✓ लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया।
8. **44 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1978।**
   - ✓ आपातकाल के दौरान हुए अतिरेक को समाप्त किया गया।
   - ✓ लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल पुनः 5 वर्ष किया गया।
   - ✓ न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति बहाल की गई।
   - ✓ संपत्ति के अधिकार (अनुच्छेद 300A) को कानूनी अधिकार बनाया गया, इसे मौलिक अधिकार नहीं रखा गया।
   - ✓ यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 20 और 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किए जा सकते।
9. **52 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1985।**
   - ✓ दसवीं अनुसूची (दल-बदल विरोधी कानून) जोड़ी गई।
10. **61 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1989।**
    - ✓ मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।
11. **69 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1991।**
    - ✓ दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) का दर्जा दिया गया तथा विधान सभा का प्रावधान किया गया (अनुच्छेद 239AA)।

12.71 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992।

- ✓ कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाएँ जोड़ी गईं।
- ✓ कुल: 18 भाषाएँ।

13.73 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992।

- ✓ पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया।
- ✓ ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी गई।

14.74 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992।

- ✓ शहरी स्थानीय निकायों (नगरपालिकाओं) को संवैधानिक दर्जा दिया गया।
- ✓ बारहवीं अनुसूची जोड़ी गई।

15.86 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2002।

- ✓ शिक्षा के अधिकार (अनुच्छेद 21A) को 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार बनाया गया।
- ✓ राज्य के नीति निदेशक तत्वों में परिवर्तन कर अनुच्छेद 45 को 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा से संबंधित किया गया।

16.91 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2003।

- ✓ मंत्रिपरिषद के आकार को विधानमंडल की कुल सदस्य संख्या के 15% तक सीमित किया गया।
- ✓ दल-बदल विरोधी कानून को सशक्त बनाया गया।

17.92 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 (2004 में प्रभावी)।

- ✓ बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाएँ जोड़ी गईं।
- ✓ कुल: 22 भाषाएँ (वर्तमान)।

18.97 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2011।

- ✓ सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया (अनुच्छेद 19(1)(c), भाग IXB)।
- ✓ बाद में राज्य अनुमोदन के अभाव में सर्वोच्च न्यायालय ने Union of India v. Rajendra Shah (2021) में इसे आंशिक रूप से निरस्त कर दिया।

19.101 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2016।

- ✓ वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू किया गया।
- ✓ जीएसटी परिषद का गठन किया गया (अनुच्छेद 279A)।

20.102 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2018।

- ✓ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को संवैधानिक दर्जा दिया गया।

21.103 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2019।

- ✓ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया।
- ✓ अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़े गए।

22.104 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2020।

- ✓ लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को 2030 तक बढ़ाया गया।
- ✓ लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो-इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटें समाप्त की गईं।

23.105 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2021।

- ✓ राज्यों को अपनी अलग सूची के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की पहचान करने की शक्ति पुनः प्रदान की गई।

24.106 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2023।

- ✓ यह लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली की विधान सभा में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटों का आरक्षण प्रदान करता है।

Toppersnotes
Unleash the topper in you

संवैधानिक सिद्धांतों पर प्रमुख मामलों की सूची

1. **अर्ध-संघीयता का सिद्धांत (Doctrine of Quasi-Federalism)** – भारतीय संविधान संघीय है, परन्तु इसमें मजबूत एकात्मक प्रवृत्ति है।
   मामला: State of West Bengal v. Union of India (1963) सर्वोच्च न्यायालय।
2. **शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत (Doctrine of Separation of Powers)** – कठोर पृथक्करण नहीं, बल्कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच कार्यात्मक विभाजन है।
   मामला: Indira Nehru Gandhi v. Raj Narain (1975) सर्वोच्च न्यायालय।
3. **विधि के शासन का सिद्धांत (Doctrine of Rule of Law)** – कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है; कानून के समक्ष समानता।
   मामला: ADM Jabalpur v. Shivkant Shukla (1976) सर्वोच्च न्यायालय (आलोचित, बाद में Maneka Gandhi (1978) और K.S. Puttaswamy (2017) में संशोधित दृष्टिकोण)।
4. **न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत (Doctrine of Judicial Review)** – न्यायपालिका को असंवैधानिक कानूनों को निरस्त करने की शक्ति है।
   मामला: Marbury v. Madison (1803, अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय का एक ऐतिहासिक फैसला था। इसने 'न्यायिक समीक्षा' (Judicial Review) के सिद्धांत को स्थापित किया, जिसके तहत अमेरिकी अदालतों को संविधान का उल्लंघन करने वाले किसी भी कानून या सरकारी कार्यवाही को रद्द करने की शक्ति प्राप्त हुई।); भारत में — Kesavananda Bharati v. Union of India (1973) में लागू किया गया।
5. **युक्तिसंगत वर्गीकरण का सिद्धांत (Doctrine of Reasonable Classification)** – समानता का अधिकार उचित वर्गीकरण की अनुमति देता है, वर्ग-विधायन की नहीं।
   मामला: State of West Bengal v. Anwar Ali Sarkar (1952) सर्वोच्च न्यायालय।
6. **मनमानी करने का सिद्धांत (Doctrine of Arbitrariness)** – कोई भी मनमानी कानून या कार्यवाही अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।
   मामला: E.P. Royappa v. State of Tamil Nadu (1974); Maneka Gandhi v. Union of India (1978) में सुदृढ़।
7. **स्पष्ट मनमानी करने का सिद्धांत (Doctrine of Manifest Arbitrariness)** – यदि कानून स्पष्ट रूप से मनमाना हो तो उसे निरस्त किया जा सकता है।
   मामला: Shayara Bano v. Union of India (2017) (ट्रिपल तलाक मामला)।

8. **सुरक्षाओं से सीमित 'प्लेजर' सिद्धांत (Doctrine of Pleasure Qualified by Safeguards)** – अनुच्छेद 310 के अंतर्गत प्रसन्नता सिद्धांत, परन्तु अनुच्छेद 311 द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई।

   मामला: Shamsher Singh v. State of Punjab (1974)।

9. **सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत (Doctrine of Collective Responsibility)** – मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जबाब देह है।

   मामला: Shamsher Singh v. State of Punjab (1974); Ram Jawaya Kapur v. State of Punjab (1955)।

11. **अयुक्तिसंगत प्रतिबंध का सिद्धांत (Doctrine of Unreasonable Restriction)** – मौलिक अधिकारों पर लगाए गए प्रतिबंध युक्तिसंगत होने चाहिए।

   मामला: Chintaman Rao v. State of M.P. (1951)।

12. **लोकहित का सिद्धांत (Doctrine of Public Interest)** – व्यापक जनहित में न्यायालय प्रतिबंधों को स्वीकार कर सकता है।

   मामला: Bennett Coleman v. Union of India (1972)।

13. **मौलिक अधिकारों के संतुलन का सिद्धांत (Doctrine of Balancing Fundamental Rights)** – दो मौलिक अधिकारों के टकराव की स्थिति में संतुलन स्थापित किया जाता है।

   मामला: Bijoe Emmanuel v. State of Kerala (1986)।

14. **जीवंत संविधान का सिद्धांत (Doctrine of Living Constitution)** – संविधान की व्याख्या समय के साथ विकसित होती है।

   मामला: Navtej Singh Johar v. Union of India (2018)।

15. **संवैधानिक नैतिकता का सिद्धांत (Doctrine of Constitutional Morality)** – संवैधानिक मूल्यों के आधार पर व्याख्या की जाती है।

   मामला: Government of NCT of Delhi v. Union of India (2018); Navtej Johar (2018)।

16. **परिवर्तनकारी संवैधानिकता का सिद्धांत (Doctrine of Transformative Constitutionalism)**– संविधान को सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में देखा जाता है।

   मामला: Navtej Johar (2018); Joseph Shine (2018)।

17. **सब्सिडियरी का सिद्धांत (Doctrine of Subsidiarity)** – विषयों का निपटारा यथासंभव निम्नतम प्रभावी स्तर पर होना चाहिए।

    प्रयोग: स्थानीय शासन के संदर्भ में; S.R. Bommai v. State of Karnataka (1994) में सुप्रीम कोर्ट ने भारत में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारी (विशेषकर विपक्षी दलो की) को मनमाने ढंग से बर्खास्त करने पर रोक लगा दी।

18. **'विषाक्त वृक्ष के फल' का सिद्धांत (Doctrine of Fruit of the Poisonous Tree)** – अवैध रूप से प्राप्त साक्ष्य सामान्यतः स्वीकार्य नहीं होते; भारत में सावधानीपूर्वक अपनाया गया।

    मामला: Pooran Mal v. Director of Inspection (1974)।

19. **दोहरे दंड का सिद्धांत (Doctrine of Double Jeopardy)** – एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दो बार दंडित या अभियोजित नहीं किया जा सकता।

    मामला: Maqbool Hussain v. State of Bombay (1953)।

24. **राजगामित्व का सिद्धांत (Doctrine of Escheat)** – बिना उत्तराधिकारी के मृत्यु होने पर संपत्ति राज्य को प्राप्त होती है - अनुच्छेद 296।

25. **बोना वैकैंशिया का सिद्धांत (Doctrine of Bona Vacantia)** – बिना स्वामी की संपत्ति राज्य को प्राप्त होती है - अनुच्छेद 296।

26. **लोक न्यास सिद्धांत (Doctrine of Public Trust)** – प्राकृतिक संसाधनों पर राज्य जनता के न्यासी के रूप में कार्य करता है।

    मामला: M.C. Mehta v. Kamal Nath (1997)।

27. **मूल संरचना सिद्धांत (Basic Structure Doctrine)** – संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, पर उसकी मूल संरचना को नहीं बदल सकती।

    मामला: Kesavananda Bharati v. State of Kerala (1973)।

28. **सार और तत्व का सिद्धांत (Doctrine of Pith and Substance)** – कानून की वैधता उसके वास्तविक विषय के आधार पर तय होती है, न कि आकस्मिक अतिक्रमण से।

    मामला: State of Bombay v. F.N. Balsara (1951)।

29. **छदम विधायन का सिद्धांत (Doctrine of Colourable Legislation)** – जो कार्य सीधे नहीं किया जा सकता, उसे अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं किया जा सकता।

    मामला: K.C. Gajapati Narayan Deo v. State of Orissa (1953)।

30. **विभाज्यता का सिद्धांत (Doctrine of Severability)** – किसी कानून का अवैध भाग अलग किया जा सकता है, शेष भाग लागू रहता है यदि वह कार्यशील हो।

मामला: R.M.D. Chamarbaugwala v. Union of India (1957)।

31. **ग्रहण का सिद्धांत (Doctrine of Eclipse)** – संविधान पूर्व कानून जो मौलिक अधिकारों से असंगत हैं, वे शून्य नहीं बल्कि निष्क्रिय हो जाते हैं और असंगति हटने पर पुनः जीवित हो सकते हैं।

मामला: Bhikaji Narain Dhakras v. State of M.P. (1955)।

32. **अधित्याग का सिद्धांत (Doctrine of Waiver)** – मौलिक अधिकारों का परित्याग नहीं किया जा सकता क्योंकि वे सार्वजनिक नीति से जुड़े हैं।

मामला: Basheshar Nath v. CIT (1959)।

33. **सामंजस्यपूर्ण व्याख्या का सिद्धांत (Doctrine of Harmonious Construction)** – परस्पर विरोधी प्रावधानों की ऐसी व्याख्या की जाती है जिससे दोनों प्रभावी रहें।

मामला: M.S.M. Sharma v. Sri Krishna Sinha (1959)।

34. **संभावित ओवररूलिंग का सिद्धांत (Doctrine of Prospective Overruling)** – न्यायालय का नया निर्णय भविष्य में लागू होता है, पूर्व प्रभाव से नहीं।

मामला: I.C. Golaknath v. State of Punjab (1967)।

35. **शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत (Separation of Powers)** – विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अलग-अलग क्षेत्र; यह मूल संरचना का भाग है।

मामला: Indira Gandhi v. Raj Narain (1975)।

36. **विलंब का सिद्धांत (Doctrine of Laches)** – याचिका दाखिल करने में अनावश्यक देरी दावा समाप्त कर सकती है।

मामला: State of M.P. v. Bhailal Bhai (1964)।

37. **स्टेयर डिसाइसिस सिद्धांत (Doctrine of Stare Decisis)** – न्यायालय पूर्व निर्णयों का पालन करते हैं; अनुच्छेद 141 के अंतर्गत निश्चितता सुनिश्चित होती है।

मामला: Bengal Immunity Co. v. State of Bihar (1955)।

38. **विधि के शासन का सिद्धांत (Rule of Law)** – कोई भी कानून से ऊपर नहीं है; कानून के समक्ष समानता।

मामला: ADM Jabalpur v. Shivkant Shukla (1976) (बाद में Maneka Gandhi में सुधार)।

39. **प्रोपोर्शनैलिटी सिद्धांत (Doctrine of Proportionality)** – अधिकारों पर प्रतिबंध आवश्यक, उपयुक्त और न्यूनतम होना चाहिए।

मामला: K.S. Puttaswamy v. Union of India (2017)।

40. **क्षेत्रीय संबंध सिद्धांत (Doctrine of Territorial Nexus)** – यदि पर्याप्त संबंध हो तो राज्य का कानून राज्य के बाहर भी लागू हो सकता है।

मामला: State of Bombay v. R.M.D.C. (1957)।

41. **प्रतिरोध सिद्धांत (Doctrine of Repugnancy)** – समवर्ती सूची में टकराव होने पर संघ का कानून राज्य कानून पर प्रभावी होता है।

मामला: M. Karunanidhi v. Union of India (1979)।

42. **अधिगृहीत क्षेत्र सिद्धांत (Doctrine of Occupied Field)** – जब किसी क्षेत्र में संघ कानून बना चुका हो, तो राज्य आगे कानून नहीं बना सकता।

मामला: Tika Ramji v. State of U.P. (1956)।

43. **प्रसादपर्यन्त का सिद्धांत (Doctrine of Pleasure)** – सरकारी सेवक राष्ट्रपति या राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं, अनुच्छेद 311 के अधीन सुरक्षा के साथ।

मामला: Shamsher Singh v. State of Punjab (1974)।

44. **वैध अपेक्षा का सिद्धांत (Doctrine of Legitimate Expectation)** – नागरिक राज्य की नीतियों में स्थिरता की अपेक्षा कर सकते हैं; उल्लंघन न्यायिक समीक्षा के अधीन है।

मामला: नवज्योति सहकारी समूह आवास सोसायटी बनाम भारत संघ (1992), सर्वोच्च न्यायालय।

संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है।

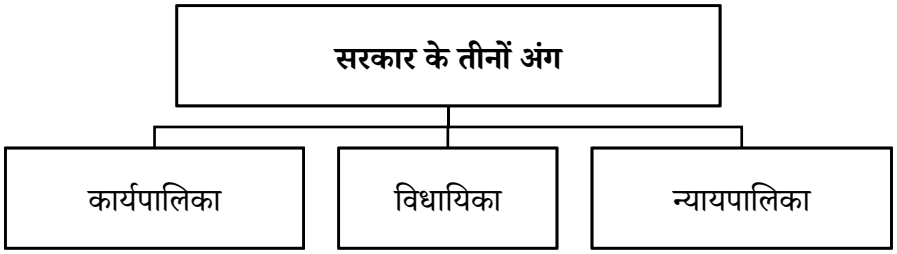

- अपनी शक्तियाँ संविधान से प्राप्त करते हैं।
- कोई भी संस्था इससे ऊपर नहीं है।
- संविधान एक दिन में नहीं बनता।
- यह इतिहास के माध्यम से धीरे-धीरे विकसित होता है।
- आज के भारतीय संविधान को समझने के लिए हमें इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जाननी चाहिए।
- यह इतिहास लगभग 1600 ईस्वी से शुरू होता है, जब इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी।

भारत में ब्रिटिशों का आगमन

- 1600 में रानी एलिज़ाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर प्रदान किया।
- इस चार्टर ने कंपनी को पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने का विशेष अधिकार दिया।
- पहली ब्रिटिश फैक्ट्री 1608 में सूरत में मुगल सम्राट जहांगीर की अनुमति (जिसे रॉयल फ़रमान कहा जाता है) से स्थापित की गई।

बाद में फैक्ट्रियाँ स्थापित की गईं:

- बंबई
- कलकत्ता
- मद्रास

ये कंपनी की मुख्य प्रेसिडेंसियाँ बन गईं।

1601 का चार्टर

कंपनी के सुशासन के लिए छोटे-छोटे नियम बनाने की अनुमति दी गई थी।

लेकिन वह अंग्रेज़ी कानून में परिवर्तन नहीं कर सकती थी।

1661 का चार्टर

इस चार्टर ने कंपनी को निम्नलिखित शक्तियाँ प्रदान कीं:

- दीवानी और फौजदारी मामलों की सुनवाई करना
- सभी पर (ब्रिटिश या भारतीय) अंग्रेज़ी कानून लागू करना

यह पहली बार था जब भारत में अंग्रेज़ी कानून लागू किया गया।

1726 का चार्टर

इस चार्टर ने बड़े कानूनी परिवर्तन किए:

(1) विधि निर्माण की शक्ति

तीनों प्रेसिडेंसियों के गवर्नर और परिषद कर सकते थे:

✓ कानून बनाना ✓ दंड देना

लेकिन ये कानून इंग्लैंड से स्वीकृति मिलने के बाद ही मान्य होते थे।

(2) मेयर न्यायालय

मेयर न्यायालय स्थापित किए गए थे:

✓ बंबई ✓ कलकत्ता ✓ मद्रास

इन न्यायालयों में अंग्रेज़ी कानून का पालन किया जाता था।

(3) प्लासी का युद्ध (1757)

ब्रिटिशों ने बंगाल के नवाब सिराज-उद-दौला को पराजित किया।

यह भारत में ब्रिटिश राजनीतिक नियंत्रण की शुरुआत का संकेत था।

(4) दीवानी अधिकार (1765)

मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को निम्न क्षेत्रों में राजस्व वसूलने का अधिकार दिया:

✓ बंगाल ✓ बिहार ✓ उड़ीसा

इससे कंपनी को इन क्षेत्रों पर प्रशासनिक नियंत्रण भी प्राप्त हो गया।

यह इतिहास क्यों महत्वपूर्ण है

इन घटनाओं ने धीरे-धीरे:

- अंग्रेज़ी कानूनों की शुरुआत की
- न्यायालयों की स्थापना की
- ब्रिटिशों को प्रशासनिक शक्तियाँ प्रदान कीं
- भारत में आधुनिक विधिक प्रणाली की नींव रखी

इस कानूनी विकास ने बाद में भारतीय संविधान को प्रभावित किया।

रेगुलेटिंग एक्ट, 1773

यह अधिनियम भारत पर ब्रिटिश संसद के नियंत्रण की दिशा में पहला कदम था।

इसे क्यों पारित किया गया?

ब्रिटिश संसद ईस्ट इंडिया कंपनी पर बेहतर नियंत्रण चाहती थी, क्योंकि कंपनी भारतीय मामलों का गलत प्रबंधन कर रही थी।

मुख्य विशेषताएँ

1. **ब्रिटिश संसद को नियंत्रण प्राप्त हुआ।**
   अब ब्रिटिश सरकार कंपनी के मामलों में हस्तक्षेप कर सकती थी।
2. **कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में परिवर्तन किया गया।**
   कंपनी के प्रबंधन को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाया गया।
3. **गवर्नर-जनरल का पद बनाया गया।**
   बंगाल के गवर्नर-जनरल और 4 परिषद सदस्यों की नियुक्ति की गई।
4. **बंबई और मद्रास पर नियंत्रण।**
   बंगाल सरकार को बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों की निगरानी का अधिकार दिया गया।
5. **निर्णय बहुमत से लिए जाते थे।**
   परिषद के निर्णय बहुमत के आधार पर होते थे।
   यदि मत बराबर होते थे, तो गवर्नर-जनरल का अंतिम निर्णय माना जाता था।
6. **प्रथम गवर्नर-जनरल।**
   लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर-जनरल बने।
7. **सुप्रीम कोर्ट की स्थापना (1774)।**
   कलकत्ता के फोर्ट विलियम में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई।
8. **प्रथम मुख्य न्यायाधीश।**
   सर एलिजाह इम्पे सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे।
9. **सुप्रीम कोर्ट की कुल संरचना।**
   मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 4 न्यायाधीश थे।

पिट्स इंडिया एक्ट, 1784

इसे क्यों पारित किया गया?

रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 की कमियों को दूर करने के लिए।

यह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर रखा गया था।

मुख्य विशेषताएँ

1. **व्यावसायिक और राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया।**
   - ✓ कंपनी व्यापार का संचालन करती थी।
   - ✓ ब्रिटिश सरकार राजनीतिक मामलों का संचालन करती थी।
2. **बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई।**

   भारतीय प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए 6 सदस्यों का एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया।
3. **शक्ति का स्थानांतरण**
   - ✓ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स → व्यापार
   - ✓ बोर्ड ऑफ कंट्रोल → राजनीतिक मामले
4. **ब्रिटिश संसद का प्रत्यक्ष नियंत्रण**

   भारतीय प्रशासन सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में आ गया।

महत्त्व

इस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को भारत का वास्तविक शासक बना दिया।

चार्टर एक्ट, 1813

मुख्य बिंदु

- ➢ कंपनी के शासन को 20 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया गया।
- ➢ लेकिन उसका व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया।
- ➢ अब सभी ब्रिटिश व्यापारी भारत के साथ व्यापार कर सकते थे।

महत्त्व

ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने विशेष व्यापारिक अधिकार खो दिए।

महत्वपूर्ण प्रावधान

1. **अधिनियमों को संसद के समक्ष प्रस्तुत करना**

   भारत में बनाए गए सभी कानूनों और नियमों को ब्रिटिश संसद के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य था।
2. **शिक्षा अनुदान**
   - ✓ भारतीयों की शिक्षा के लिए ₹1,00,000 की राशि निर्धारित की गई।
   - ✓ भारतीय साहित्य, विज्ञान और शिक्षा को प्रोत्साहित किया गया।
3. **मिशनरियों को अनुमति दी गई**

   ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने की अनुमति दी गई।

चार्टर एक्ट, 1833

मुख्य परिवर्तन

1. **भारत के गवर्नर-जनरल का पद सृजित किया गया।**
   - ✓ बंगाल के गवर्नर-जनरल को भारत का गवर्नर-जनरल बना दिया गया।
   - ✓ उसे सिविल और सैन्य प्रशासन पर नियंत्रण प्राप्त हो गया।
2. **भारत के प्रथम गवर्नर-जनरल**
   - ✓ **लॉर्ड विलियम बेंटिंक**
   - ✓ **विधायी शक्ति केवल गवर्नर-जनरल-इन-काउंसिल को दी गई।**
3. **केंद्रीकृत विधि निर्माण**
   - ✓ भारत के सभी व्यक्तियों के लिए कानून बनाए गए।
   - ✓ ब्रिटिश शासन को कानूनी रूप से औपचारिक बना दिया गया।
4. **प्रथम विधि आयोग (1834)**
   - ✓ भारत का पहला विधि आयोग गठित किया गया।
   - ✓ लॉर्ड मैकॉले इसके अध्यक्ष थे।

महत्त्व

इस अधिनियम ने शक्तियों का केंद्रीकरण किया और भारत में एकसमान कानूनों की नींव रखी।

चार्टर एक्ट, 1853

मुख्य विशेषताएँ

1. **अलग विधायी परिषद**
   - ✓ 12 सदस्यों की एक अलग विधायी परिषद बनाई गई।
2. **स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई**
   - ✓ कानून निर्माण में भारतीयों को पहली बार प्रतिनिधित्व दिया गया।
3. **प्रतिस्पर्धा के माध्यम से सिविल सेवाएँ**
   - ✓ सिविल सेवाओं में भर्ती खुली प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं के माध्यम से शुरू की गई।
4. **कंपनी शासन का विस्तार किया गया**
   - ✓ कंपनी ने ब्रिटिश क्राउन की ओर से भारत का शासन जारी रखा।

महत्त्व

प्रतिनिधि शासन और योग्यता-आधारित सेवाओं की शुरुआत।

भारत सरकार अधिनियम, 1858

यह क्यों पास किया गया?

1857 की क्रांति के बाद, ब्रिटिश सरकार ने भारत का प्रत्यक्ष नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया।

मुख्य प्रावधान:

1. **कंपनी शासन का अंत**
   - ✓ शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया।
2. **कंपनी निकायों का उन्मूलन**
   - ✓ **कंट्रोल बोर्ड और डायरेक्टर्स कोर्ट को समाप्त कर दिया गया।**
3. **भारत के लिए स्टेट सेक्रेटरी**
   - ✓ एक ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री को भारत के लिए स्टेट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया।
4. **15 सदस्यों की परिषद**
   - ✓ स्टेट सेक्रेटरी की सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई थी।
5. **भारत का वायसराय**
   - ✓ गवर्नर-जनरल भारत का वायसराय बन गया।
   - ✓ लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय थे।

महत्त्व

भारत औपचारिक रूप से ब्रिटिश क्राउन कॉलोनी बन गया।

toppersnotes
Unleash the topper in you

1. भारतीय परिषद अधिनियम, 1861

- ✓ इसने भविष्य के संवैधानिक विकास के लिए एक बुनियादी संरचना प्रदान की।
- ✓ गवर्नर-जनरल की परिषद का विस्तार किया गया (6–12 सदस्य)।
- ✓ सदस्यों का आधा हिस्सा गैर-आधिकारिक था, और पहली बार इसमें भारतीय शामिल किए गए।
- ✓ बॉम्बे और मद्रास को उनके कानून बनाने के अधिकार वापस मिल गए।
- ✓ गवर्नर-जनरल आदेश जारी कर सकते थे और प्रांतों की सीमाओं में बदलाव कर सकते थे।

संक्षेप में: भारतीयों को कानून बनाने में सीमित भागीदारी मिली।

2. भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 (मॉर्ले–मिंटो सुधार)

- ✓ मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल पेश किए गए।
- ✓ साम्प्रदायिक राजनीति को बढ़ावा मिला।

- ✓ विधायिका की परिषदों का आकार बढ़ाया गया।
- ✓ भारतीयों को पहली बार कार्यकारी परिषदों में शामिल किया गया।
- ✓ सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले भारतीय कानून सदस्य बने।

संक्षेप में: राजनीति में धार्मिक विभाजन की शुरुआत हुई।

3. भारत सरकार अधिनियम, 1919 (मोंटाग्यू–चेल्म्सफोर्ड सुधार)

- ✓ प्रांतों में द्वितीयक शासन (ड्यारेखी) शुरू किया गया।
- ✓ विषयों को इस प्रकार विभाजित किया गया:
  - **आरक्षित (महत्वपूर्ण मामले जैसे पुलिस, वित्त)**
  - **हस्तांतरित (शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय मामले)**
- ✓ गवर्नर-जनरल यह तय करता था कि कोई विषय केंद्रीय है या प्रांतीय।
- ✓ केंद्रीय विधायिका द्विसदनीय (ऊपरी और निचली सभा) बन गई।

संक्षेप में: प्रांतों में भारतीयों को सीमित अधिकार दिए गए।

4. साइमन आयोग, 1927

- ✓ 7 ब्रिटिश सदस्य थे, कोई भारतीय सदस्य नहीं।
- ✓ भारतीयों ने कड़ी विरोध प्रदर्शन किया।
- ✓ इस रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार अधिनियम, 1935 आया।
- ✓ सिफारिश की गई:
  - संघीय संविधान
  - अधिक भारतीय भागीदारी
  - संघीय विधानसभा के रूप में निचली सभा

संक्षेप में: भारतीयों ने इसे इसलिए अस्वीकार कर दिया क्योंकि इसमें कोई भारतीय प्रतिनिधित्व नहीं था।

5. भारत सरकार अधिनियम, 1935

- ✓ संपूर्ण भारत महासंघ का प्रस्ताव रखा गया (ब्रिटिश भारत + रियासी राज्य)
- ✓ केंद्र में द्वितीयक शासन (ड्यारेखी) लागू किया गया
- ✓ विषयों को संघीय, प्रांतीय और सहवर्ती सूची में विभाजित किया गया